न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 49/2013

1. मलकीयत कौर पत्नी करतार सिंह पुत्री सौदागर सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बूटा सिंह (मृतक)

2/1 तेज कौर पत्नी बूटा सिंह	जाति मजहबी, निवासीगण
2/2 मनजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	तेजेवाला तह. श्रीकरणपुर
2/3 गुरजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	जिला श्रीगंगानगर।
2/4 मन्जू पुत्री बूटा सिंह	

3. तेज कौर पुत्री सौदागर सिंह पत्नी मल सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. सुखचैन सिंह (मृतक)

1/1 भूपेन्द्र कौर पत्नी सुखचैन सिंह	जाति जटसिख, निवासीगण
1/2 छिन्द्र सिंह पुत्र सुखचैन सिंह	चक 10 ओ तह. श्रीकरणपुर
1/3 बब्बू सिंह पुत्र सुखचैन सिंह	जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या 50/2013

1. मलकीयत कौर पत्नी करतार सिंह पुत्री सौदागर सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बूटा सिंह (मृतक)

2/1 तेज कौर पत्नी बूटा सिंह	जाति मजहबी, निवासीगण
2/2 मनजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	तेजेवाला तह. श्रीकरणपुर
2/3 गुरजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	जिला श्रीगंगानगर।
2/4 मन्जू पुत्री बूटा सिंह	

4. तेज कौर पुत्री सौदागर सिंह पत्नी मल सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. डूंगर सिंह (मृतक)

1/1 हरबंश कौर पत्नी डूंगर सिंह	जाति जटसिख निवासीगण
1/2 राणा सिंह पुत्र डूंगर सिंह	चक 10 तह. श्रीकरणपुर
1/3 मंजू पुत्र डूंगर सिंह	जिला श्रीगंगानगर

3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

दिनांक 09.09.2016

उपस्थितिः—

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक अपीलांट

श्री सुभाष मिढ्ढा, अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 21.08.17**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सुखचैन सिंह ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88 का पेश कर कथन किया कि चक 10 ओ श्रीकरणपुर के मु. नं. 39 की 12.05 बीघा भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 24.04.1963 को प्रतिवादी मुख्यार कौर से खरीद की गई है एवं उक्त भूमि पर कब्जा इससे पूर्व वादी के परिवार के पास चला आ रहा है । प्रतिवादी के नाम पूर्व में हुए इंतकाल में कोई जाति दर्ज नहीं है । वादी द्वारा उक्त भूमि जरिए बैयनामा क्रय की है । अतः वादी को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । इसी प्रकार एक वाद डूंगर सिंह ने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 10 ओ के मु. नं. 39 की 24.10 बीघा भूमि मुख्तयार कौर की खातेदारी थी जिसमें से 12.05 बीघा भूमि जरिए बैयनामा वादी ने खरीद कर ली है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । मुख्तयार कौर जो

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पूर्व में जाति से मजहबी थी परन्तु बेचान से पूर्व उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और इसाई धर्म को स्वीकार कर लिया । विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः निवेदन है कि वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । दोनों ही दावों में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किए गए । दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई । सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.1996 को दोनों ही वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया । उक्त दोनों ही अपीलाधीन आदेशों के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें पेश हुई । दोनों ही अपीलों में काननी बिन्दु एवं तथ्य एकसमान होने से पक्षकारों द्वारा एक साथ बहस की गई । इसलिए दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई एवं तनकी सं. 1 प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषित किए जाने के सम्बंध में इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 से 3 का निर्णय एक साथ किया है जिसके अनुसार प्रभावशुन्य बैयनामा को वैध माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने रा. का. अ. की धारा 42 को सही ढंग से समझने में

21/8/14

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 से 3 का संयुक्त रूप से निर्णय करने में विधिक त्रुटि की है । तनकी सं. 4 प्रतिदावा के अनुसार वादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाने बाबत थी । इस तनकी का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध किया है । तनकी सं. 5 व 7 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है । अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी अपीलांट्स अनपढ़ होने से नहीं हुई एवं पटवारी हल्का से होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश करदी । जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । इस सम्बंध में वकील अपीलांट ने 2012 (2) सीसीसी 747 (एससी) की नजीर पेश की। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने आरआरटी 2012 (2) पेज 1277,79 आरआरटी 2001 (2) पेज 229 आरआरटी 2013(1)पेज 432, आरआरटी 2015 (1) पेज 592 आरआरटी 2008(2)पेज1197 आरआरटी 2002(1)649 की न्याय दृष्टांत पेश कर कथन किया कि रा. का. अ. की धारा 42 की अवहेलना होने पर ऐसी भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती और निवेदन किया कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर दोनों ही अपीलें स्वीकार की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. द्वारा जरिए बैयनामा क्रय की है । जिस समय भूमि क्रय की थी उस समय प्रतिवादीगण की जाति इसाई थी । प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा पेश

21/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 से 3 का संयुक्त रूप से निर्णय करने में विधिक त्रुटि की है । तनकी सं. 4 प्रतिदावा के अनुसार वादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाने बाबत थी । इस तनकी का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध किया है । तनकी सं. 5 व 7 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है । अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी अपीलांट्स अनपढ़ होने से नहीं हुई एवं पटवारी हल्का से होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश करदी । जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । इस सम्बंध में वकील अपीलांट ने 2012 (2) सीसीसी 747 (एससी) की नजीर पेश की। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने आरआरटी 2012 (2) पेज 1277,79 आरआरटी 2001 (2) पेज 229 आरआरटी 2013(1)पेज 432, आरआरटी 2015 (1) पेज 592 आरआरटी 2008(2)पेज1197 आरआरटी 2002(1)649 की न्याय दृष्टांत पेश कर कथन किया कि रा. का. अ. की धारा 42 की अवहेलना होने पर ऐसी भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती और निवेदन किया कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर दोनों ही अपीलें स्वीकार की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. द्वारा जरिए बैयनामा क्रय की है । जिस समय भूमि क्रय की थी उस समय प्रतिवादीगण की जाति इसाई थी । प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा पेश

21/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 09.09.96 को वाद स्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध यह अपील लगभग 17 वर्ष विलम्ब से पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है । अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से हुई । इस सम्बंध में आरआरडी 1990 पेज 545, आरआरडी 2001 पेज 35 का हवाला देते हुए कथन किया कि आदेश की जानकारी शुरू से होने पर विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता । इसी क्रम आरआरटी 2013 पेज 125 की नजीर पेश की । जहां तक अपीलांट का यह कहना कि बेचान रा. का. अ. की धारा 42 की अवहेलना में हुआ है । यह गलत है क्योंकि बैयनामा दिनांक 24.04.1963 का है तथा धारा 42क दिनांक 01.05.1964 को जोड़ी गई है । जिसका प्रभाव भुतलक्षी नहीं है । इस धारा का प्रभाव दिनांक 01.05.1964 के पश्चात् किए गए विक्रय पर होगा । इस सम्बंध में वकील रेस्पों. ने आरआरटी 1985 पेज 85 पेज 567 व आरआरडी 1994 पेज 98, आरआरटी 2006 पेज 363 सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश कर निवेदन किया कि दोनों ही अपीलें खारिज की जावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 09.09.1996 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश होकर दिनांक 10.06.2013 को दर्ज रजिस्टर होकर लगभग 17 वर्ष बाद पेश हुई है तथा अपील के साथ मियाद अधिनियम की

सहायक अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 5 का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें देरी से अपील दायर करने का कारण अनपढ़ होना तथा स्त्रीजात होना जाहिर किया है दोनों ही न तो पर्याप्त कारण हैं। जहां तक delay को condone करने का बड़ा आधार प्रकरण की Merit को माना जा सकता है जो प्रकरण हाजा का गुणावगुण का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय में जब दावा पेश किया तब दिनांक 03.12.1985 को पेशकार द्वारा टिप्पणी की गई थी कि इस रकबा व इन्हीं पार्टियों के मध्य 175 आरटीए का दावा 170/83 स्टेट बनाम मुख्तयार कौर वगैरह इसी न्यायालय में चल रहा है जिसका एकपक्षीय परीक्षण सीपीसी की धारा 10 के तहत सुना जाकर दावा दर्ज के आदेश दिए थे जिसके निर्णय की यह अपील है। यह विचार करना उचित होगा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण पश्चात् विवादित आराजी के लिए रा. का. अ. की धारा 175 के तहत कार्यवाही जो अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज होना साबित होता है इस अपील की Merit को अति कमजोर साबित करती है । अतः इतना लम्बा विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपीलें मियाद बाहर पेश होने से दोनों ही अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. मलकीयत कौर पत्नी करतार सिंह पुत्री सौदागर सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बूटा सिंह (मृतक)

2/1 तेज कौर पत्नी बूटा सिंह	जाति मजहबी, निवासीगण
2/2 मनजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	तेजेवाला तह. श्रीकरणपुर
2/3 गुरजीत सिंह पुत्र बूटा सिंह	जिला श्रीगंगानगर।
2/4 मन्जू पुत्री बूटा सिंह	

3. तेज कौर पुत्री सौदागर सिंह पत्नी मल सिंह, जाति मजहबी, निवासी चक 10–ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट्स

बनाम

1. डूंगर सिंह (मृतक)	
1/1 हरबंश कौर पत्नी डूंगर सिंह	जाति जटसिख निवासीगण
1/2 राणा सिंह पुत्र डूंगर सिंह	चक 10 तह. श्रीकरणपुर
1/3 मंजू पुत्र डूंगर सिंह	जिला श्रीगंगानगर

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

––रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 50/2013 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर मुर्ख्ख 09 माह 09 सन् 1996

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 21 माह 08 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री सुभाष मिढा अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

" बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 21.08.2017 जारी किया गया।

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर